

बिल्डिंग परमिट संबंधी शर्तें

रिहायशी सोलर पैनल

आवेदक ध्यान दें: नीचे दी गई बिल्डिंग परमिट के आवेदन संबंधी जानकारी उन सोलर कलेक्टर पर लागू होती है, जो डीटैचड या सेमी-डीटैचड घरों, फ्रीहोल्ड टाउनहोम्स, पंक्तिबद्ध घरों, ड्यूपलेक्स और लाइव-वर्क यूनिटों की छत पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं।

बिल्डिंग परमिट आवेदन

1. पूरे किए बिल्डिंग परमिट आवेदन में निम्नलिखित शामिल होता है:

- आवेदन फॉर्म "निर्माण करने या गिराने के लिए परमिट"
- शेड्यूल 1: डिजाइनर जानकारी
- लागू कानूनी जांच सूची

2. योजनाओं की दो (2) प्रतियां, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो:

सोलर घरेलू गर्म पानी के लिए:

- मौजूदा छत के लिए उपयोग किए गए पैनलों के परिमाण और संख्या व निर्माण के प्रकार सहित, प्रस्तावित सोलर कलेक्टर का स्थान दिखाते हुए छत की योजना (जैसेपर निर्मित सहारे या छत की शहतीरें / कड़ियों के आकार और खाली स्थान की सूची बनाएं)
- निम्नलिखित जानकारी शामिल करने के लिए योजना(एं) और सेक्शन ड्राइंग्स:
 - (i) गर्म पानी के टैंक, सर्कुलेशन पम्प और हीट एक्सचेंजर का स्थान दिखाते हुए फ्लोर योजना
 - (ii) प्रस्तावित हीट एक्सचेंजर का प्रकार (सिंगल या डबल दीवार आदि)
 - (iii) हीट ट्रांसफर के उपयोग किया गया माध्यम (जैसे ग्लाइकोल का प्रकार)
 - (iv) प्रतिवाह को रोकने वाले के स्थान और प्रकार सहित योजनाबद्ध ड्राइंग्स (यदि लागू हो)
- सोलर कनेक्टरों और मौजूदा छत के साथ उनके कनेक्शन के निर्माण के विवरण और ढांचागत इंजीनियर से यह पुष्टि कि कलेक्टर और संबंधित उपकरण की इंस्टॉलेशन का प्रभाव छत के मौजूदा ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

सोलर फोटोवोल्टिक के लिए:

- मौजूदा छत के लिए उपयोग किए गए पैनलों के परिमाण और संख्या व निर्माण के प्रकार सहित, प्रस्तावित सोलर कलेक्टर का स्थान दिखाते हुए छत की योजना (जैसेपर निर्मित सहारे या छत की शहतीरें / कड़ियों के आकार और खाली स्थान की सूची बनाएं)
- सोलर कनेक्टरों और मौजूदा छत के साथ उनके कनेक्शन के निर्माण के विवरण और ढांचागत इंजीनियर से यह पुष्टि कि कलेक्टर और संबंधित उपकरण की इंस्टॉलेशन का प्रभाव छत के मौजूदा ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

3. \$280.50 की परमिट फीस

बिल्डिंग परमिट जारी करना

1. किसी भी ऐसे मुद्दे के बारे में आवेदक से संपर्क करके उसे सूचित किया जाएगा, जो प्रस्तुत किए गए आवेदन और सहायक दस्तावेज की समीक्षा के दौरान प्रकट होता हो। समीक्षा के पूरा होने पर, आवेदक को टेलीफोन से संपर्क किया जाएगा और परमिट जारी किए जाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

परमिट

टेली. 905-874-2401
फैक्स 905-874-2499

जांचें

टेली. 905-874-3700
फैक्स 905-874-3763

ज़ोनिंग सर्विसिज

टेली. 905-874-2090
फैक्स 905-874-2499